ईसीजीसी लि.   ECGC Ltd.

<u>सार्वजनिक सूचिा</u>

<u>प्र.का./पा.य .ोिं नर्./2026 निििोिंक 23.03.2026</u>

<u>डीजीएफटी की अनिसूचिा सोंख्या 65/2025-26 निििोिंक 19.03.2026 के अिुसार</u>
<u>RELIEF घटक I, II और III के अिोिंतर्वत</u>
<u>िािर्ा प्रस्तुत करिे के निए मािक सोंचािि प्रनिया</u>

1. भारत सरकार ने ननर्ाात संवर्ान निशन के अंतर्ात "RELIEF" (ननर्ाात सुनवर्ा हेतु लचीलापन और रसद हस्तक्षेप) की घोषणा की है, जो डीजीएफटी अनर्सूचना संख्या 65/2025-26 नदनांक 19.03.2026 के िाध्यि से खाडी और व्यापक पनिि एनशर्ा सिुद्री र्नलर्ारे िें व्यवर्ानों के कारण िाल ढुलाई िें असार्ारण वृद्धि, बीिा प्रीनिर्ि िें वृद्धि और र्ुद्ध संबंर्ी ननर्ाात जोद्धखिों से प्रभानवत भारतीर् ननर्ाातकों को सहार्ता प्रदान करने के नलए है। RELIEF हस्तक्षेपों को व्यवर्ान अवनर् के दौरान पहले से भेजे र्ए नशपिेंट के साथ-साथ प्रभानवत क्षेत्र िें ननर्ोनजत संभानवत ननर्ाातों को कवर करते हुए ननर्ाात चक्र िें सहार्ता प्रदान करने के नलए संरनचत नकर्ा र्र्ा है।

2. स्वीकृत ढांचे के तहत, भारत सरकार (वानणज्य एवं उद्योर् िंत्रालर्) के पूणा स्वानित्व वाली ईसीजीसी नलनिटेड (पूवा िें एक्सपोटा क्रेनडट र्ारंटी कॉपोरेशन ऑफ इंनडर्ा नलनिटेड) को सत्यापन, दावा प्रसंस्करण, नवतरण और ननर्रानी के नलए नोडल और कार्ाान्वर्न एजेंसी के रूप िें नानित नकर्ा र्र्ा है।

3. RELIEF हस्तक्षेपों का उद्देश्य प्रभानवत देशों िें र्ुद्ध संबंर्ी जोद्धखिों और उनसे जुडे राजनीनतक जोद्धखिों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इसिें संर्ुक्त अरब अिीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, कुवैत, कतर, ओिान, बहरीन, इराक, ईरान और र्िन जैसे देशों के नलए नडलीवरी र्ा ट्ांस-नशपिेंट हेतु भेजे जाने वाले फुल कंटेनर

लोड (एफसीएल), लेस दैन कंटेनर लोड (एलसीएल) र्ा रीफर कंटेनर (नाशवान िाल) वाले नशपिंट शानिल होंर्े। इन RELIEF हस्तक्षेपों के तहत सहार्ता बैक-टू-टाउन कार्ो

िािलों पर लार्ू नहीं होर्ी।

4. सरकार के ननदेशों के अनुरूप, RELIEF हस्तक्षेपों के पररचालन संबंर्◌ी नववरण सभी नहतर्◌ारकों के नलए नीचे नदए ए हैं:

I. RELIEF घटक - I: ECGC के पहिे से बीनमत नियावतक ◌ो के निए नियावत ऋण सहायता

(i) उन ननर्◌ा◌तकों के नलए नजन्◌ो◌ंने पहले ही ECGC ऋण बीि◌◌ा कवर प्राप्त कर नलर्◌ा है

(ii) कवर की अवनर् (14.2.2026 से 15.3.2026)

(iii) ि◌◌ौजूदा प्रीनिर्◌ि दरों पर 100% तक कवर प्रदान नकर्◌ा जाएर्◌ा

(iv) सरकार ECGC को उस रानश की प्रनतपूनता करेर्◌ी जो ECGC अपने पॉनलसीर्◌ारकों को ECGC के ि◌◌ौजूदा कवर के तहत सािि◌◌ान्य रूप से देर् रानश से अनर्क भुर्तान करेर्◌ी

II. RELIEF घटक - II: क्षेत्र में आर्◌ामी नियावत के निए नियावत ऋण सहायता हेतु ECGC कर्रेज क प्र त्सानहत और सुर्म बिाि◌◌ा

(i) ननर्◌ा◌तकों को ECGC के ऋण बीि◌◌ा कवर का नवकल्प चुनने के नलए प्रोत्सानहत करना

(ii) कवर की अवनर् (16.3.2026 से 15.6.2026)

(iii) ि◌◌ौजूदा प्रीनिर्◌ि दरों पर 95% तक का कवर प्रदान नकर्◌ा जाएर्◌ा

(iv) सरकार ECGC को उस रानश की प्रनतपूनता करेर्◌ी जो ECGC अपने पॉनलसीर्◌ारकों को ECGC के ि◌◌ौजूदा कवर के तहत सािि◌◌ान्य रूप से देर् रानश से अनर्क भुर्तान करेर्◌ी

III. RELIEF घटक - III: पात्र र्ैर-ईसीजीसी-बीनमत एमएसएमई नियावतक ो द्वारा र्हि नकए ए्ं असाि ारण माि ढुि ाई और बीमा अनिभार के निए प्रनतपूनतव सहायता

(i) र्ैर-ईसीजीसी ग्राहकों और एिएसएिई ननर्ा ातकों के नलए

(ii) नशपिंट की अवनर् (14.2.2026 से 15.3.2026)

(iii) ननर्ा ातकों को अनतररक्त ि ाल ढुलाई और बीि ा के 50% तक (सीआईएफ अनुबंर्ो ं के नलए) र्ा अनुबंनर्त एफओबी ि ूल्य और प्राप्त ननर्ा ात आर् के बीच असार्ारण अनर्भारों के कारण हुई किी के 50% तक की प्रनतपूनता प्रदान की जाएर्ी, जो ि ाल ढुलाई र्ा बीि ा लार्त िे ं वृद्धि के कारण हुई हो। इसिें ननम्ननलद्धखत शानिल होंर्े:

(क) र्ुि जोद्धखि अनर्भार (डब्ल्यूआरएस)/आपातकालीन संघषा अनर्भार (ईसीएस) र्ा इसी तरह के शुल्क;

(ख) अनतररक्त र्ुि जोद्धखि प्रीनिर्ि (एडब्ल्यूआरपी);

(र्) सिुद्री िार्ा व्यवर्ानों से जुडे अनतररक्त संघषा-संबंनर्त नशनपंर् शुल्क; और,

(घ) ि ाल ढुलाई पर लार्ू अनतररक्त बीि ा प्रीनिर्ि।

(iv) प्रत्येक आईईसी को दी जाने वाली कुल सहार्ता ननम्ननलद्धखत शतों के अर्ीन होर्ी:

(क) पात्र इनवॉइस के संबंर् िे ं ननर्ा ातक द्वारा हुई वास्तनवक हानन की सीि ा,

(ख) ननर्ा ाररत दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण, और

(ग) इस घटक के अंतर्गत सभी पात्र खेपों के लिए प्रति निर्यातक ₹50 लाख की कुल सीमा।

5. RELIEF घटकों के अंतर्गत दावे दाखिल करने की प्रक्रिया

ईसीजीसी पॉलिसीधारकों के लिए (RELIEF घटक I और II)

- पॉलिसीधारकों को अपने मौजूदा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके ईसीजीसी पोर्टल www.ecgcltd.in पर साइन इन करना होगा।
- वे मौजूदा पॉलिसी दावा मॉड्यूल के माध्यम से दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्यातकों (गैर-ईसीजीसी पॉलिसीधारकों) के लिए - (RELIEF घटक III)

- निर्यातकों (गैर-ईसीजीसी पॉलिसीधारकों) को पहले ईसीजीसी पोर्टल www.ecgcltd.in पर पंजीकरण/साइन अप करना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा।
- साइन अप के दौरान, निर्यातकों को निर्यातक ग्राहक कोड बनाने और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ विवरण (जैसे, आईईसी, पैन, उद्यम, बैंक खाता विवरण) प्रदान करने होंगे।
- इसके बाद, निर्यातक पोर्टल पर मॉड्यूल के माध्यम से RELIEF घटक III के अंतर्गत दावे प्रस्तुत कर सकेंगे।

ईसीजीसी कस्टमर पोर्टल पर पंजीकरण या दावा दाखिल करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन के लिए, निर्यातक निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं।

पंजीकरण और RELIEF घटक - III के तहत दावा दाखिल करने के लिए:

https://youtu.be/X2vtw9z-oQA?feature=shared

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

6. **<u>RELIEF घटक III के अोंतर्वत िार्ा प्रस्तुत करते समय अपि ड/जमा नकए जािे र्ािे िस्तार्ेज ों की सूची</u>**

(**ि ट** - प्रत्येक नशनपंर् नबल के नलए अलर् दावा दाद्धखल नकर्ा जाएर्ा)

(i) आर्ातक-ननर्ाातक कोड (IEC) प्रिाणपत्र

(ii) MSME प्रिाणपत्र

(iii) क्रर् आदेश/अनुबंर्, र्नद कोई संशोर्न हो, सनहत

(iv) इनवॉइस और पैनकंर् सूची

(v) नशनपंर् नबल

(vi) ऑनबोडा नबल ऑफ लैनडंर् र्ा एर्रवे नबल

(vii) पररवहन और बीिा इनवॉइस नजनिें "असार्ारण" अनर्भार तत्व स्पष्ट रूप से दशाार्ा र्र्ा हो, जैसे अनतररक्त र्ुि जोद्धखि प्रीनिर्ि (AWRP), र्ुि जोद्धखि अनर्भार (WRS), आपातकालीन संघषा अनर्भार (ECS) र्ा इसी प्रकार के शुल्क, सिुद्री िार्ा व्यवर्ानों से संबंनर्त अनतररक्त संघषा-संबंर्ी नशनपंर् शुल्क; और कार्ो नशपिेंट पर लार्ू अनतररक्त बीिा प्रीनिर्ि।

(viii) उक्त "असार्ारण" अनर्भारों की कटौती के नलए क्रेता के साथ पत्राचार

(ix) नकए र्ए खचों के भुर्तान का प्रिाण

(x) ननर्ाात आर् की प्राद्धप्त के नलए बैंक प्राद्धप्त प्रिाण पत्र

(xi) बैंक खाते का नववरण और रद्द नकए र्ए चेक की प्रनत

ि ट – घटक I और II के नलए दस्तावेज, ऊपर उद्धिद्धखत दस्तावेजों के अनतररक्त, ECGC के दावा प्रपत्र िें सूचीबि अनुसार अपलोड/जिा नकए जाएंर्े। ऐसे सभी दावों की सिग्र रूप से जांच की जाएर्ी।

7. RELIEF घटकों के अंतर्ात दावों की प्रनतपूनता DGFT की अनर्सूचना संख्या 65/2025-26 नदनांक 19.03.2026 के अनुसार की जाएर्ी।

ग्राहक पोटाल िें तकनीकी सहार्ता के नलए, कृपर्ा econnectivity@ecgc.in पर ईिेल करें।
RELIEF से संबंनर्त नकसी भी सहार्ता के नलए, कृपर्ा RELIEF2026@ecgc.in पर ईिेल करें।
आप हिारी ननकटति शाखा र्ा क्षेत्रीर् कार्ाालर् से भी संपका कर सकते हैं - नववरण हिारी वेबसाइट www.ecgc.in पर प्रकानशत 'शाखा लोकेटर' िें उपलब्ध हैं - https://main.ecgc.in/english/branch-offices/

****